



Protean eGov Technologies Limited

अंतिम निकासी, एनीयुटी और जारी रखने/स्थगित करने की प्रक्रिया पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) - सरकारी क्षेत्र

© 2022 Protean eGov Technologies Limited, All rights reserved. Property of Protean eGov Technologies Limited.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying or recording, for any purpose, without the express written consent of Protean eGov Technologies Limited.

◆ अंतिम निकासी, वार्षिकी और निरंतरता/स्थगन प्रक्रिया से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:-

1. निकास क्या है?

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत अभिदाता के व्यक्तिगत पेंशन खाते को बंद करने को निकास के रूप में परिभाषित किया जाता है।

2. कोई अभिदाता NPS से कब बाहर निकल सकता है? NPS के अंतर्गत निकास के प्रकार क्या हैं?

PFRDA (NPS के अंतर्गत निकास एवं निकासी) विनियम 2015 एवं उसके संशोधनों के अनुसार, निम्नलिखित निकास श्रेणियों की अनुमति है:

- **सामान्य सेवानिवृत्ति/सुपरएनुएशन पर** – अभिदाता की जमा पेंशन राशि का कम से कम 40% एनीयुटी खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा, जिससे अभिदाता को मासिक पेंशन मिलेगी, और बाकी की पेंशन राशि अभिदाता को लंपसम के रूप में दी जाएगी।
अगर NPS खाते में कुल कॉर्पस 5 लाख रुपये या उससे कम है, तो अभिदाता पूरी (100%) निकासी का विकल्प चुन सकते हैं।
- **प्री-मेच्योर (समय से पहले) निकासी** – अभिदाता की जमा पेंशन राशि का कम से कम 80% एनीयुटी खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा, जिससे अभिदाता को मासिक पेंशन मिलेगी, और बची हुई पेंशन राशि अभिदाता को लंपसम के रूप में दी जाएगी।
अगर NPS खाते में कुल कॉर्पस 2.5 लाख रुपये या उससे कम है, तो सदस्य पूरी (100%) निकासी का विकल्प चुन सकते हैं।
- **मृत्यु पर निकास** – यदि NPS अभिदाता की मृत्यु सेवानिवृत्ति/सुपरएनुएशन की आयु प्राप्त करने से पहले हो जाती है, तो अभिदाता की जमा पेंशन राशि का कम से कम 80% एनीयुटी खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा, जिससे परिवार के सदस्य, जैसे अभिदाता की पत्नी, फिर आश्रित माँ और फिर आश्रित पिता को मासिक पेंशन मिलेगी। बाकी बची हुई पेंशन राशि लंपसम के रूप में नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को दी जाएगी, जैसा मामला हो। इसके अलावा,
 - यदि NPS खाते में कुल धनराशि अभिदाता की मृत्यु की तिथि तक 5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, के पास पूर्ण (100%) निकासी का विकल्प होगा।
 - यदि मृतक उपभोक्ता के परिवार का कोई भी सदस्य (पति या पत्नी, यदि कोई हो, माता और पिता) जीवित हैं, तो वार्षिकी जारी करने के लिए NPS कॉर्पस अभिदाता के जीवित बच्चों को वापस कर दिया जाएगा और बच्चों की अनुपस्थिति में, अभिदाता के कानूनी उत्तराधिकारियों को, जैसा भी लागू हो।

आगे, यदि सरकार की ओर से अभिदाता/परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है/देय है, तो विनियमों के अनुसार, संपूर्ण पेंशन राशि (100% कोष) को सरकारी निर्देशों के अनुसार आगे के निपटान के लिए नोडल कार्यालय में हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

3. सेवानिवृत्ति/सुपरएनुएशन के समय अभिदाता के लिए कौन से विकल्प उपलब्ध हैं?

अभिदाता NPS में निवेशित रह सकते हैं (75 वर्ष तक) या NPS से बाहर निकल सकते हैं। अभिदाता के लिए निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:

- **NPS खाते को जारी रखना:** अभिदाता सेवानिवृत्ति (75 वर्ष तक) के बाद भी NPS खाते में अंशदान जारी रख सकते हैं और अंशदान पर अतिरिक्त कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अभिदाता के पास निरंतरता के दौरान कभी भी बाहर निकलने का विकल्प होता है, अगर वह बाहर निकलना चाहता है।
- **NPS खाते को स्थगित करना:** अभिदाता अपनी निकासी को स्थगित कर सकता है और 75 वर्ष की आयु तक NPS में निवेशित रह सकता है। अभिदाता केवल एकमुश्त निकासी को स्थगित कर सकता है, केवल वार्षिकी को स्थगित कर सकता है या एकमुश्त राशि और वार्षिकी दोनों को स्थगित कर सकता है। अभिदाता के पास 75 वर्ष की आयु तक चरणबद्ध तरीके से स्थगित एकमुश्त राशि निकालने या किसी भी समय पूरी राशि निकालने का विकल्प है। साथ ही, अभिदाता के पास स्थगन के दौरान किसी भी समय बाहर निकलने का विकल्प है, अगर वह बाहर निकलना चाहता है।
- **निकासी और पेंशन शुरू करना:** यदि अभिदाता अपना NPS खाता जारी या स्थगित नहीं रखना चाहते, तो वे NPS से

निकासी कर सकते हैं। अभिदाता NPS निकासी दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू कर सकते हैं और पेंशन प्राप्त करना शुरू कर सकते हैं।

4. अभिदाता/नोडल कार्यालय को निकासी फॉर्म कहां मिलेंगे? निकासी फॉर्म के विभिन्न प्रकार क्या हैं?

आप इस वेबसाइट पर संबंधित सेक्टर के अंतर्गत उपलब्ध "फॉर्म" अनुभाग के अंतर्गत निकासी फॉर्म पा सकते हैं। निकासी अनुरोध के विभिन्न प्रकारों के आधार पर, निम्नलिखित फॉर्म उपलब्ध कराए गए हैं:

- सुपरएन्रुएशन निकासी
- प्री-मेच्योर निकासी
- मृत्यु पर निकासी
- NPS खाते का जारी रखना / स्थगित करना

5. एक्जिट क्लेम आईडी क्या है और इसकी प्रासंगिकता क्या है?

- **सेवानिवृत्ति/सुपरएन्रुएशन के मामले में**, निकासी के लिए क्लेम आईडी सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 महीने पहले जनरेट की जाती है और CRA द्वारा सदस्य/नोडल ऑफिस को सूचित की जाती है। ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू करने के लिए क्लेम आईडी आवश्यक होती है। क्लेम आईडी के बिना निकासी का अनुरोध नहीं किया जा सकता। सदस्य इस 6 महीने की अवधि का उपयोग निकासी की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते हैं, जैसे कि CRA सिस्टम में सदस्य की जानकारी (जैसे बैंक विवरण, पता, संपर्क विवरण आदि) अपडेट करना, एनीयुटी सेवा प्रदाता (ASP) और पेंशन योजना का चयन करना आदि, सेवानिवृत्ति से पहले।
- **प्री-मेच्योर निकासी के मामले में**, सदस्य को NPS फंड की निकासी के लिए क्लेम आईडी जनरेट कराने के लिए नोडल ऑफिस से संपर्क करना होगा। नोडल ऑफिस को CRA सिस्टम में प्री-मेच्योर निकासी के लिए क्लेम आईडी जनरेट करनी होगी। क्लेम आईडी के बिना निकासी का अनुरोध नहीं किया जा सकता।
- **मृत्यु के कारण निकासी के मामले में**, ऑनलाइन मृत्यु निकासी अनुरोध को प्रक्रिया में लाने के लिए क्लेम आईडी जनरेट करने की आवश्यकता नहीं होती। नोडल ऑफिस सीधे CRA सिस्टम में मृत्यु मामलों के लिए निकासी अनुरोध शुरू कर सकता है।

6. नोडल कार्यालय/अभिदाता सेवानिवृत्त अभिदाताओं के लिए ऑनलाइन निकासी अनुरोध कब आरंभ कर सकेंगे?

क्लेम आईडी CRA द्वारा सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 महीने पहले जनरेट की जाएगी। एक बार क्लेम आईडी जनरेट हो जाने के बाद, सदस्य/नोडल ऑफिस CRA सिस्टम में ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू कर सकेंगे।

निकासी अनुरोध को CRA में तब प्रोसेस किया जाएगा जब नोडल ऑफिस (यदि सदस्य द्वारा शुरू किया गया हो) द्वारा उसकी जांच और स्वीकृति दी जाएगी। यदि निकासी अनुरोध सेवानिवृत्ति की तारीख से पहले स्वीकृत किया जाता है, तो उसे CRA में सदस्य की सेवानिवृत्ति की तारीख के बाद प्रोसेस किया जाएगा।

7. एक्जिट के लिए पूर्व-आवश्यकताएं क्या हैं?

ऑनलाइन निकासी अनुरोध आरंभ करने से पहले ग्राहक को निम्नलिखित बातें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए:

- PRAN के लिए क्लेम आईडी उपलब्ध हो।
- PRAN FATCA अनुपालन है। साथ ही, अभिदाता की जानकारी (जैसे PAN, पता, संपर्क विवरण, बैंक विवरण, नामांकन विवरण आदि) NPS खाते में अपडेट की जाती है। यदि आवश्यक हो, तो अभिदाता इन विवरणों को ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं या नोडल ऑफिस में भौतिक रूप से अनुरोध जमा कर सकते हैं।
- सदस्य को OTP प्रमाणीकरण / आधार का उपयोग करके ई-साइन के माध्यम से निकासी अनुरोध सबमिट करना आवश्यक है। इसलिए, OTP प्रमाणीकरण के लिए सदस्य का वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी CRA में पंजीकृत होना चाहिए। या, आधार के माध्यम से ई-साइन के लिए, सदस्य का आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर वैध होना चाहिए ताकि ई-साइन प्रक्रिया के दौरान OTP प्राप्त हो सके।

8. CRA प्रणाली में ऑनलाइन निकासी अनुरोध किसे शुरू करना होगा और इसकी प्रक्रिया क्या है?

ऑनलाइन निकासी अनुरोध ग्राहक द्वारा शुरू किया जा सकता है। ग्राहक को निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

- ग्राहक को उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के रूप में PRAN का उपयोग करके CRA प्रणाली (www.cra-nsdl.com) में ऑनलाइन निकासी अनुरोध आरंभ करना होगा।
- अभिदाता "**NPS से निकासी**" मेनू विकल्प का चयन करेंगे। अभिदाता की पंजीकृत जानकारी, जैसे PRAN, संपर्क विवरण, बैंक विवरण, नामांकन विवरण आदि, स्वचालित रूप से प्रदर्शित हो जाएगी। इनमें से सभी विवरण (सिवाय नामांकित व्यक्ति के विवरण के) एडिट योग्य नहीं होंगे।
- सदस्य को निम्नलिखित विवरण दर्ज करने होंगे: जैसे कि एकमुश्त निकासी प्रतिशत, वार्षिकी प्रतिशत, वार्षिकी सेवा प्रदाता, वार्षिकी योजना आदि।
- सदस्य को अनिवार्य रूप से सभी प्रासंगिक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां अपलोड करनी होंगी, जैसे: केवाईसी दस्तावेज (पहचान और पते का प्रमाण), पैन कार्ड की प्रति, PRAN कार्ड/ई PRAN की प्रति, बैंक प्रमाण की प्रति आदि।
- अनुरोध आरंभ करने के दौरान, अभिदाता के बैंक खाते का सत्यापन ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन के माध्यम से किया जाएगा। अभिदाता का बैंक ऑनलाइन बैंक खाता सत्यापन के लिए सूचीबद्ध होना चाहिए।
- अभिदाता को ओटीपी प्रमाणीकरण/ई-साइन का उपयोग करके अनुरोध प्रस्तुत करना आवश्यक है। OTP प्रमाणीकरण के मामले में, CRA में पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर दो अलग-अलग वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजे जाएंगे। जबकि ई-साइन के मामले में, OTP आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा।
- अनुरोध को संबंधित नोडल कार्यालय द्वारा CRA सिस्टम में सत्यापित और स्वीकृत किया जाना चाहिए। नोडल कार्यालय द्वारा अनुरोध के सफल स्वीकृति पर, अनुरोध CRA सिस्टम में निष्पादित हो जाएगा।

9. यदि OTP प्रमाणीकरण / ई-साइन संभव नहीं है या अभिदाता ऑनलाइन निकासी अनुरोध आरंभ करने में सक्षम नहीं है तो क्या प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए?

- यदि OTP प्रमाणीकरण / ई-साइन संभव नहीं है, तो अभिदाता को भौतिक फॉर्म जमा करने के विकल्प के साथ अनुरोध शुरू करना होगा। ऑनलाइन अनुरोध शुरू करने के बाद, सदस्य को निकासी फॉर्म के साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज नोडल कार्यालय में जमा करने होंगे। भौतिक दस्तावेज प्राप्त होने पर, नोडल कार्यालय दस्तावेजों का सत्यापन करेगा और CRA सिस्टम में ऑनलाइन निकासी अनुरोध को अनुमोदित करेगा।
- यदि अभिदाता ऑनलाइन अनुरोध शुरू करने में असमर्थ है, तो अभिदाता को निकासी फॉर्म के साथ आवश्यक सहायक दस्तावेज नोडल कार्यालय में जमा करने होंगे। भौतिक दस्तावेज प्राप्त होने पर, नोडल कार्यालय अभिदाता की ओर से CRA सिस्टम में ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू करेगा और उसे अनुमोदित करेगा।

10. क्या निकासी अनुरोध में नोडल कार्यालय के लिए मेकर-चेकर अवधारणा लागू है?

हां, मेकर-चेकर अवधारणा निकासी अनुरोध में लागू है।

यदि अभिदाता ने CRA प्रणाली में ऑनलाइन निकासी अनुरोध दर्ज किया है, तो नोडल कार्यालय को एक यूजर आईडी (मेकर) का उपयोग करके CRA प्रणाली में उस निकासी अनुरोध को सत्यापित करना होगा तथा अन्य यूजर आईडी (जांचकर्ता) का उपयोग करके CRA प्रणाली में निकासी अनुरोध को स्वीकृत करना होगा।

इसके अलावा, भौतिक अनुरोध प्राप्त होने की स्थिति में, नोडल कार्यालय को एक यूजर आईडी (मेकर) का उपयोग करके CRA सिस्टम (www.cra-nsdl.com) में निकासी अनुरोध को कैचर करना होगा और अन्य यूजर आईडी (चेकर) का उपयोग करके उसे स्वीकृत करना होगा।

निकासी फॉर्म और सहायक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां भी नोडल कार्यालय द्वारा CRA सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए। निकासी अनुरोध प्रोसेस करने पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) "नोडल ऑफिस कॉर्नर" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, जो इस वेबसाइट पर संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध है।

11. नोडल कार्यालय ऑनलाइन निकासी अनुरोध कैसे प्राप्त कर सकता है?

- **सुपरएनीवेशन निकासी:** यदि सदस्य ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू करने में असमर्थ है, तो नोडल कार्यालय सदस्य

की ओर से सेवानिवृत्ति की तिथि से छह महीने पहले ऑनलाइन निकासी अनुरोध दर्ज कर सकता है। नोडल कार्यालय सीआरए वेबसाइट (www.cra-nsdl.com) पर प्रदान किए गए I-Pin का उपयोग करके "एक्जिट विड्रॉल रिक्वेस्ट" मेनू के तहत मेकर-चेकर कॉन्सेप्ट के माध्यम से अनुरोध शुरू कर सकता है।

- **प्री-मेच्योर निकासी और मृत्यु निकासी:** नोडल कार्यालय CRA वेबसाइट (www.cra-nsdl.com) पर प्रदान किए गए I-Pin का उपयोग करके "एक्जिट विड्रॉल रिक्वेस्ट" मेनू के तहत मेकर-चेकर प्रक्रिया के माध्यम से अनुरोध शुरू कर सकता है।

नोडल कार्यालय को CRA प्रणाली में मामला दर्ज करने से पहले ग्राहक/दावेदार से निकासी फॉर्म और सहायक दस्तावेज एकत्र करने होंगे।

12. सेवानिवृत्ति और प्री-मेच्योर निकासी के मामले में अभिदाता से कौन से दस्तावेज प्राप्त किए जाने चाहिए?

यदि अभिदाता द्वारा CRA सिस्टम में ऑनलाइन डिजिटल सिग्नेचर (OTP ऑथेंटिकेशन/ई-साइन) के माध्यम से निकासी का अनुरोध किया गया है और सभी संबंधित स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड किए गए हैं, तो नोडल कार्यालय में भौतिक निकासी फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं है। नोडल कार्यालय मेकर-चेकर उपयोगकर्ता आईडी का उपयोग करके स्कैन दस्तावेजों के आधार पर अनुरोध को सत्यापित और अधिकृत कर सकता है।

यदि OTP प्रमाणीकरण / ई-साइन संभव नहीं है, या यदि अभिदाता ने भौतिक निकासी फॉर्म जमा करने का विकल्प चुना है, या यदि अभिदाता ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू करने में सक्षम नहीं है, तो अभिदाता को पूर्ण रूप से भरा हुआ निकासी फॉर्म और आवश्यक दस्तावेज [केवाईसी दस्तावेज (पहचान और पता प्रमाण), बैंक खाता प्रमाण और निकासी फॉर्म में उल्लिखित अन्य आवश्यक दस्तावेज] संबंधित नोडल कार्यालय में जमा करना होगा।

आवश्यक दस्तावेजों की सूची निकासी फॉर्म में दी गई है। निकासी फॉर्म "फॉर्म" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध हैं, जो इस वेबसाइट पर संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध है।

13. ग्राहक को निकासी राशि कैसे प्राप्त होती है?

निकासी की राशि केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से ग्राहक के बैंक खाते में जमा की जाती है (ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू करने के समय दिए गए बैंक विवरण के अनुसार)।

14. क्या कोई अभिदाता सेवानिवृत्ति और प्री-मेच्योर निकासी के मामले में 100% निकासी का दावा कर सकता है?

- **सेवानिवृत्ति के मामले में,** यदि कुल संचित निधि 5 लाख रुपये से कम है तो अभिदाता 100% निकासी का दावा कर सकता है।
- **प्री-मेच्योर निकासी के मामले में,** यदि कुल संचित राशि 2.5 लाख रुपये से कम है, तो अभिदाता पूर्ण निकासी का विकल्प चुन सकता है।

15. नोडल कार्यालय/अभिदाता निकासी अनुरोध की स्थिति की जांच कैसे कर सकते हैं?

नोडल कार्यालय/अभिदाता नीचे दिए गए विकल्प के अनुसार निकासी की स्थिति की जांच कर सकते हैं:

- नोडल कार्यालय/अभिदाता सीमित पहुंच दृश्य (प्री लॉगिन) के माध्यम से स्थिति की जांच कर सकते हैं जो CRA सिस्टम होम पेज (www.cra-nsdl.com) पर उपलब्ध है।
- नोडल कार्यालय/अभिदाता उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ CRA सिस्टम (www.cra-nsdl.com) पर लॉग इन करके निकासी की स्थिति की जांच भी कर सकते हैं।

16. नोडल कार्यालय निकासी फार्म कहां जमा करेंगे?

भौतिक निकासी फॉर्म और सहायक दस्तावेजों को स्टोरेज के उद्देश्य से निम्नलिखित पते पर CRA को जमा करना होगा, केवल

नोडल कार्यालय द्वारा CRA प्रणाली में निकासी अनुरोध के स्वीकृति के बाद। निकासी फॉर्म और सहायक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियों को भी नोडल कार्यालय द्वारा सीआरए प्रणाली में अपलोड किया जाना चाहिए:

एनपीएस क्लेम प्रोसेसिंग सेल सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी,
प्रोटियन ईगव टेक्नोलॉजीज लिमिटेड
पहली मंजिल, टाइम्स टॉवर, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल,
मुंबई-400013

यदि अभिदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (OTP प्रमाणीकरण/ई-साइन) के माध्यम से CRA प्रणाली में ऑनलाइन निकास अनुरोध शुरू किया जाता है और पूर्ण स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड किए जाते हैं, तो नोडल कार्यालय/PCRA को भौतिक निकासी फॉर्म जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है।

17. क्या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को प्री-मेच्योर निकासी या सुपरनुअशन माना जाएगा?

केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कार्यान्वयन) नियम, 2021 (बिंदु संख्या 13) के अनुसार, नियम 56 के तहत सेवानिवृत्ति पर लाभ या विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत लाभ:

(1) एक अभिदाता, -

- जो फंडामेंटल रूल्स, 1922 के नियम 56 के अनुसार अनिवार्य सेवानिवृत्ति की आयु से पहले सेवानिवृत्त हो जाता है या सेवानिवृत्त हो चुका है; या
- जो कर्मचारी, जिसे अपनी सेवा संस्था के लिए अधिशेष घोषित किया गया है, और जो विशेष स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (Special Voluntary Retirement Scheme) के तहत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा अधिसूचित कार्यालय ज्ञापन संख्या 25013/6/2001-Estt. (A) दिनांक 28 फरवरी, 2002 (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार स्वेच्छा से सेवानिवृत्त होने का विकल्प चुनता है, उसे पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत निकासी और वापसी संबंधी नियमों) के अनुसार, उस कर्मचारी को वही लाभ मिलेगा जो एक सामान्य सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ है कि इस योजना के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों को NPS के तहत सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले लाभों का अधिकार होगा:

(2) यदि अभिदाता अपने व्यक्तिगत पेंशन खाते को जारी रखना चाहता है या सेवानिवृत्ति की तिथि से परे राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत लाभों के भुगतान को स्थगित करना चाहता है, तो उसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और निकासी) विनियम, 2015 के अनुसार इस संबंध में विकल्प का प्रयोग करना होगा।

18. समय से पहले निकासी की स्थिति में, अभिदाता की वार्षिकी कब शुरू होगी अर्थात तुरंत? या सेवानिवृत्ति / सुपरनुअशन / 60 वर्ष की आयु के बाद?

यदि अभिदाता वार्षिकी खरीदने के लिए आयु और कॉर्पस मानदंड को पूरा करता है तो वार्षिकी तुरंत शुरू हो जाती है (एएसपी और संबंधित वार्षिकी सेवा प्रदाता की वार्षिकी योजना के विकल्प पर निर्भर करता है)।

19. क्या एक गैर-आईआरए (गैर-व्यक्तिगत सेवानिवृत्ति खाता) अभिदाता निकासी अनुरोध जमा कर सकता है?

नहीं, गैर-आईआरए अभिदाता को आईआरए अनुपालक बनने के लिए संबंधित नोडल कार्यालय में अभिदाता पंजीकरण फॉर्म (CSRF फॉर्म) जमा करना होगा। एक बार जब अभिदाता IRA अनुपालक हो जाता है, तो वह CRA में ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू कर सकता है।

हालाँकि, मृत्यु के कारण निकासी के मामले में, अभिदाता को IRA का अनुपालन करने की आवश्यकता नहीं है। नोडल कार्यालय ऑनलाइन मृत्यु निकासी अनुरोध को कैचर कर सकता है, भले ही अभिदाता IRA का अनुपालन न करता हो।

20. उन निकासी मामलों की प्रक्रिया कैसे की जाए जहां विकलांगता/पारिवारिक पेंशन का भुगतान सरकार द्वारा किया जा रहा है/लागू है?

यदि पारिवारिक पेंशन लागू है, तो अभिदाता का NPS कोष उसके नोडल कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अभिदाता/दावाकर्ता को पारिवारिक पेंशन औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए नोडल कार्यालय से संपर्क करना होगा। नोडल कार्यालय को निम्नलिखित दस्तावेज एकत्र करने होंगे जहां विकलांगता/पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है:

अनुबंध I: नोडल कार्यालय द्वारा घोषणा (यदि विकलांगता/परिवार पेंशन दी जा रही है) जिसमें नोडल कार्यालय के बैंक खाता विवरण का उल्लेख हो।

अनुबंध II: नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा घोषणा जिसमें यह बताया गया हो कि नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी को NPS लाभ नहीं मिलेगा और नोडल कार्यालय को सदस्य के NPS कोष के स्थानांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है।

अनुबंध III: स्वैच्छिक योगदान और टियर II निकासी के मामले में बैंक विवरण।

नोडल कार्यालय CRA सिस्टम (www.cra-nsdl.com) में मेकर-चेकर प्रक्रिया के तहत निकासी अनुरोध को ऑनलाइन संसाधित करेगा। नोडल कार्यालय का मेकर उपयोगकर्ता निकासी अनुरोध प्रारंभ करेगा और चेकर उपयोगकर्ता CRA सिस्टम में उस अनुरोध को अधिकृत करेगा।

फैमिली पेंशन निकासी अनुरोध की प्रक्रिया पर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) "नोडल कार्यालय कॉर्नर" अनुभाग में उपलब्ध है, जो इस वेबसाइट पर संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत है।

नोडल कार्यालय को स्टोरेज के उद्देश्य से दस्तावेज CRA को प्रस्तुत करने होंगे।

21. क्या अभिदाता टियर-1 खाता बंद करने के बाद अपना टियर-2 खाता जारी रख सकता है?

नहीं, टियर-1 खाते से बाहर निकलने पर टियर-2 खाता अपने आप बंद हो जाता है। अभिदाता को टियर-1 खाते के साथ-साथ टियर-2 निकासी अनुरोध ऑनलाइन शुरू करना आवश्यक है।

22. टियर-1 निकासी के मामले में क्या कर लाभ उपलब्ध है?

लम्पसम निकासी - सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर निकासी के मामले में, लम्पसम निकासी यानी कुल संचित पेंशन संपत्ति का 60% करमुक्त होता है।

एन्युटी - सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर एन्युटी खरीदने के लिए उपयोग की गई राशि करमुक्त होती है। हालांकि, प्राप्त एन्युटी आय (पेंशन) उस वर्ष में कर के अधीन होगी, जब यह प्राप्त की जाती है, और यह अभिदाता की लागू कर स्लैब के अनुसार कराधान होगी।

23. टियर-2 निकासी के मामले में क्या कर लाभ उपलब्ध है?

नहीं, टियर-2 निकासी के मामले में कर लाभ उपलब्ध नहीं है।

❖ ग्राहक की मृत्यु पर निकास:

24. सरकारी अभिदाता की मृत्यु (सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले) के कारण निकासी के लिए क्या दिशानिर्देश हैं?

NPS सदस्य के निधन की स्थिति में (यदि वे सेवानिवृत्ति की आयु तक नहीं पहुंचे), तो सदस्य की जमा की गई पेंशन राशि का कम से कम 80% राशि एंटी खरीदने के लिए उपयोग की जाएगी, जिससे परिवार के सदस्यों को मासिक पेंशन मिलेगी, अर्थात् पहले सदस्य के जीवनसाथी को, यदि कोई हो, फिर आश्रित मां और फिर आश्रित पिता को। बाकी पेंशन राशि को एकमुश्त भुगतान के रूप में नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को भुगतान किया जाएगा, जैसा कि मामला हो।

- यदि एनपीएस खाते में कुल धनराशि अभिदाता की मृत्यु की तिथि तक 5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, के पास पूर्ण (100%) निकासी का विकल्प होगा।
- यदि मृतक अभिदाता (पति/पत्नी, माता और पिता) के परिवार के सदस्यों में से कोई भी जीवित नहीं है, तो वार्षिकी जारी

करने के लिए अभिप्रेत एनपीएस कॉर्पस अभिदाता के जीवित बच्चों को और बच्चों की अनुपस्थिति में, अभिदाता के कानूनी उत्तराधिकारियों को, जैसा भी लागू हो, वापस कर दिया जाएगा।

इसके अलावा, यदि परिवार के सदस्यों को सरकार की ओर से पारिवारिक पेंशन का भुगतान किया जा रहा है/देय है, तो विनियमों के अनुसार, संपूर्ण पेंशन राशि (100% कोष) को सरकारी निर्देशों के अनुसार आगे के निपटान के लिए नोडल कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

25. सरकारी अभिदाता की मृत्यु (सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद) के कारण निकासी के लिए क्या दिशानिर्देश हैं?

NPS अभिदाता की मृत्यु (सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने के बाद) की स्थिति में, अभिदाता की संचित पेंशन राशि का कम से कम 40% हिस्सा परिवार के सदस्यों यानी अभिदाता के पति/पत्नी (यदि कोई हो) को मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए, उसके बाद अभिदाता की आश्रित माता और उसके बाद अभिदाता के आश्रित पिता को। शेष पेंशन राशि ऐसे अभिदाता के नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारियों को लंपसम भुगतान की जाती है। इसके अलावा,

- यदि एनपीएस खाते में कुल धनराशि अभिदाता की मृत्यु की तिथि तक 5 लाख रुपये से कम या उसके बराबर है, तो नामांकित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी, जैसा भी मामला हो, के पास पूर्ण (100%) निकासी का विकल्प होगा।
- यदि मृतक अभिदाता (पति/पत्नी, माता और पिता) के परिवार के सदस्यों में से कोई भी जीवित नहीं है, तो वार्षिकी जारी करने के लिए अभिप्रेत एनपीएस कॉर्पस अभिदाता के जीवित बच्चों को और बच्चों की अनुपस्थिति में, अभिदाता के कानूनी उत्तराधिकारियों को, जैसा भी लागू हो, वापस कर दिया जाएगा।

26. परिवार के सदस्यों को वार्षिकी (पेंशन) कैसे दी जाएगी?

एनपीएस कोष के कम से कम 80% से, वार्षिकी (पेंशन) का भुगतान जीवन भर के लिए ग्राहक के जीवनसाथी (यदि कोई हो) को किया जाएगा। यदि जीवनसाथी मौजूद नहीं है/जीवित नहीं है, तो वार्षिकी का भुगतान मृतक ग्राहक की जीवित आश्रित माता और फिर जीवित आश्रित पिता को किया जाएगा। ऐसे सभी पारिवारिक सदस्यों के कवरेज के बाद, वार्षिकी की खरीद मूल्य ग्राहक के जीवित बच्चों को और बच्चों की अनुपस्थिति में, ग्राहक के कानूनी उत्तराधिकारियों को, जैसा भी लागू हो, वापस कर दिया जाएगा।

यदि कॉर्पस 5 लाख रुपये से अधिक है तो कम से कम 80% एनपीएस कॉर्पस का उपयोग एन्युटी के लिए अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। नामांकित व्यक्ति/दावाकर्ता को मृत्यु निकासी फॉर्म में एन्युटी सेवा प्रदाता (एएसपी) और एन्युटी योजना का चयन करना आवश्यक है।

27. मृत्यु निकासी अनुरोध के मामले में नामिती/दावेदार से कौन से दस्तावेज़ अपेक्षित हैं?

नामांकित व्यक्ति/दावेदार को विधिवत भरा हुआ मृत्यु निकासी फॉर्म, साथ में सहायक दस्तावेज जैसे [मृतक ग्राहक का मृत्यु प्रमाण पत्र, केवाईसी दस्तावेज (पहचान और पता प्रमाण), बैंक खाता प्रमाण और दावेदार के अन्य आवश्यक दस्तावेज] जमा करने होंगे। आवश्यक दस्तावेजों की सूची मृत्यु निकासी फॉर्म में दी गई है। मृत्यु निकासी फॉर्म "फॉर्म" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, जो इस वेबसाइट पर संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध है।

प्रत्येक नामिती/दावेदार को निकासी फॉर्म जमा करना होगा।

28. नामिती/दावेदार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है?

नामिती/दावेदार को प्रासंगिक सहायक दस्तावेजों के साथ मृत्यु निकासी फॉर्म को अभिदाता के संबद्ध नोडल कार्यालय अर्थात आहरण एवं संवितरण कार्यालय (डीडीओ)/वेतन एवं लेखा कार्यालय (पीएओ)/जिला कोषागार कार्यालय (डीटीओ) में जमा करना आवश्यक है।

नोडल कार्यालय सीआरए सिस्टम में ऑनलाइन मृत्यु निकासी अनुरोध पर कार्रवाई करेगा। नोडल कार्यालय द्वारा निकासी अनुरोध पर कार्रवाई करने पर, निर्धारित समयसीमा के भीतर नामिती/दावेदार को धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। साथ ही, यदि वार्षिकी लागू है, तो वार्षिकी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दावेदार का विवरण वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) के साथ साझा किया जाता है।

29. सीआरए प्रणाली में नोडल कार्यालय मृत्यु निकासी अनुरोध पर कैसे कार्रवाई करेगा?

सभी नामांकित व्यक्तियों/दावेदारों से भौतिक दस्तावेज प्राप्त होने पर, संबंधित नोडल कार्यालय दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। दस्तावेजों के सफल सत्यापन पर, नोडल कार्यालय मेकर-चेकर के साथ CRA सिस्टम (www.cra-nsdl.com) में ऑनलाइन मृत्यु निकासी अनुरोध को संसाधित करेगा।

नोडल कार्यालय का मेकर उपयोगकर्ता मृत्यु निकासी अनुरोध आरंभ करेगा और नोडल कार्यालय का चेकर उपयोगकर्ता सीआरए सिस्टम में अनुरोध को अधिकृत करेगा। निकासी फॉर्म और सहायक दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां भी नोडल कार्यालय द्वारा सीआरए सिस्टम में अपलोड की जानी चाहिए। मृत्यु निकासी अनुरोध के प्रसंस्करण पर मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) "**नोडल कार्यालय कॉर्नर**" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, जो इस वेबसाइट पर संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध है।

नोडल कार्यालय द्वारा निकासी अनुरोध के सफल प्रसंस्करण पर, निर्धारित समयसीमा के भीतर नामिती/दावाकर्ता को धनराशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। साथ ही, यदि वार्षिकी लागू है, तो वार्षिकी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दावेदार का विवरण वार्षिकी सेवा प्रदाता (एसपी) के साथ साझा किया जाता है।

30. नामिती/दावेदार को निकासी राशि कैसे प्राप्त होती है?

निकासी की राशि केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से नामिती/दावाकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाती है (ऑनलाइन निकासी अनुरोध शुरू करते समय दिए गए बैंक विवरण के अनुसार)।

31. डिफॉल्ट वार्षिकी योजना क्या है?

मृत्यु के कारण बाहर निकलने की स्थिति में डिफॉल्ट वार्षिकी योजना यानी एनपीएस पारिवारिक आय योजना अनिवार्य है। यह योजना ग्राहक के जीवनसाथी (यदि कोई हो) को जीवन भर के लिए वार्षिकी (पेंशन) प्रदान करेगी। यदि जीवनसाथी मौजूद नहीं है/जीवित नहीं है, तो वार्षिकी का भुगतान किया जाएगा,

- b. मृतक ग्राहक की जीवित आश्रित माता;
- c. मृतक ग्राहक का जीवित आश्रित पिता।

ऊपर निर्दिष्ट सभी पारिवारिक सदस्यों के कवरेज के बाद, वार्षिकी की कीमत अभिदाता के जीवित बच्चों को और बच्चों की अनुपस्थिति में, अभिदाता के कानूनी उत्तराधिकारियों को, जैसा भी लागू हो, वापस कर दी जाएगी।

वार्षिकी (पेंशन) की राशि ग्राहक के एनपीएस कॉर्पस और अन्य कारकों जैसे कि चयनित वार्षिकी सेवा प्रदाता (एसपी), दावेदार की आयु आदि पर निर्भर करती है। एसपी की सूची, वार्षिकी दरें और अन्य विवरण इस वेबसाइट पर <https://www.npskra.nsdl.co.in/Annuity-service-providers.php> पर देखे जा सकते हैं।

32. क्या दावेदार को अनिवार्य रूप से डिफॉल्ट वार्षिकी योजना का चयन करना होगा या दावेदार कोई अन्य वार्षिकी योजना का चयन कर सकता है?

एनपीएस अभिदाता की मृत्यु की स्थिति में, परिवार के सदस्यों (मृतक अभिदाता के पति/पत्नी/माता/पिता) के लिए डिफॉल्ट वार्षिकी योजना अर्थात् एनपीएस परिवार आय योजना का चयन करना अनिवार्य है, यदि अभिदाता की मृत्यु की तिथि तक उसका एनपीएस कॉर्पस 5 लाख रुपये से अधिक है।

33. जहां सीआरए प्रणाली में एक से अधिक नामांकित व्यक्ति पंजीकृत हैं, वहां मृत्यु मामले की प्रक्रिया कैसे की जाएगी?

ऐसे निकासी अनुरोध पर नीचे उल्लिखित परिदृश्य के अनुसार कार्रवाई की जाएगी:

- सीआरए सिस्टम में पंजीकृत सभी नामांकित व्यक्तियों द्वारा निकासी फॉर्म जमा किया जाना चाहिए।
- यदि कुछ नामांकित व्यक्ति एनपीएस कोष का दावा नहीं करना चाहते हैं:
 - त्याग विलेख उस नामिती/नामितियों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है जो एनपीएस लाभों का दावा नहीं करना चाहते हैं।
 - क्षतिपूर्ति बांड उस नामिती द्वारा प्रस्तुत किया जाना है जो एनपीएस लाभों का दावा कर रहा है।

- त्याग विलेख और क्षतिपूर्ति बांड का प्रारूप "**फॉर्म**" अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है, जो इस वेबसाइट पर संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध है।
- यदि एक नामित व्यक्ति बालिग है और दूसरा नाबालिग है,
 - वयस्क नामित व्यक्ति अपना निकासी फॉर्म जमा करेगा।
 - अभिभावक (नाबालिग की ओर से) नाबालिग के जन्म प्रमाण के साथ निकासी फॉर्म जमा करेगा।

34. यदि परिवार का कोई भी सदस्य (मृतक ग्राहक का पति/पत्नी, माता और पिता) जीवित नहीं है तो मृत्यु के मामलों की प्रक्रिया कैसे की जाएगी?

यदि मृतक सदस्य के परिवार के किसी भी सदस्य (जीवनसाथी, माता और पिता) का निधन हो चुका हो, तो एंट्री जारी करने के लिए निर्धारित NPS कोष सदस्य के जीवित बच्चों को लौटा दिया जाएगा, और बच्चों के अभाव में, यह कोष सदस्य के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रदान किया जाएगा, जैसा कि लागू हो।

सदस्य के बच्चे/कानूनी उत्तराधिकारी को संबंधित नोडल कार्यालय में पूरी तरह से भरा हुआ मृत्यु निकासी फॉर्म और आवश्यक सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। मृत्यु निकासी फॉर्म में आवश्यक दस्तावेजों की सूची दी गई है, जो इस वेबसाइट के "**फॉर्म**" अनुभाग के अंतर्गत संबंधित क्षेत्र में उपलब्ध है।

35. PFRDA निकास विनियम, 2015 और उसके संशोधनों के अनुसार, जहां PFRDA के लिए कोई वैध नामांकन मौजूद नहीं है (नामांकित व्यक्ति अमान्य है) वहां मृत्यु मामलों की प्रक्रिया कैसे की जाएगी?

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकास और निकासी) विनियम 2015 और उसके संशोधनों के अनुसार, जहां इन विनियमों के अनुसार कोई वैध नामांकन मौजूद नहीं है, ऐसे अभिदाता की मृत्यु के कारण उसके निकास के समय, अन्य स्वीकार्य टर्मिनल लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से उसके नियोक्ता के पास ऐसे अभिदाता के रिकॉर्ड में यदि कोई नामांकन मौजूद है, तो उसे एनपीएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया गया नामांकन माना जाएगा।

36. यदि PRAN के लिए CRA प्रणाली में कोई नामित व्यक्ति पंजीकृत नहीं है तो मृत्यु मामलों की प्रक्रिया कैसे की जाएगी?

यदि मृतक सदस्य ने CRA में NPS खाते में नामांकन पंजीकृत नहीं किया है और सदस्य के नियोक्ता के साथ नामांकन रिकॉर्ड भी उपलब्ध नहीं है, तो संचित पेंशन धनराशि राज्य के संबंधित राजस्व अधिकारियों द्वारा जारी कानूनी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र या सक्षम न्यायालय द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाणपत्र के आधार पर परिवार के सदस्यों को प्रदान की जाएगी।

❖ वार्षिकी संबंधी:

37. वार्षिकी क्या है?

एनपीएस के संदर्भ में, वार्षिकी का तात्पर्य वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) से अभिदाता/दावाकर्ता (परिवार के सदस्य - अभिदाता का जीवनसाथी/माता/पिता, मृत्यु के कारण बाहर निकलना) द्वारा प्राप्त मासिक राशि से है। अभिदाता/दावाकर्ता द्वारा तय पेंशन राशि का एक प्रतिशत (न्यूनतम 40% या 80% एएसपी के साथ निवेश किया जाना है, यदि निकासी क्रमशः सुपरएन्युएशन और समय से पहले बाहर निकलने/मृत्यु के कारण होती है) पैनेल में शामिल वार्षिकी सेवा प्रदाताओं से वार्षिकी खरीदने के लिए उपयोग किया जाता है।

38. वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) कौन हैं और वर्तमान में कौन से एएसपी उपलब्ध हैं?

भारतीय जीवन बीमा कंपनियाँ जिन्हें बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) द्वारा लाइसेंस प्राप्त है, वे वार्षिकी सेवा प्रदाता के रूप में कार्य कर सकती हैं। हालाँकि, NPS सब्सक्राइबर्स को वार्षिकी सेवाएँ प्रदान करने के लिए वार्षिकी सेवा प्रदाताओं को PFRDA द्वारा सूचीबद्ध होना आवश्यक है। NPS के तहत वार्षिकी प्रदान करने के लिए PFRDA द्वारा सूचीबद्ध वार्षिकी सेवा प्रदाताओं की सूची इस वेबसाइट पर <https://www.npscra.nsdl.co.in/Annuity-service-providers.php> पर देखी जा सकती है।

39. कौन सी वार्षिकी योजनाएं उपलब्ध हैं?

एनपीएस अभिदाताओं के लिए उपलब्ध वार्षिकी योजनाओं के सबसे सामान्य प्रकार निम्नलिखित हैं:

- **क्रय मूल्य की वापसी के साथ आजीवन वार्षिकी** - अभिदाता को आजीवन वार्षिकी मिलेगी और अभिदाता की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा और क्रय मूल्य का 100% नामिती(यों) को वापस कर दिया जाएगा।
- **क्रय मूल्य की वापसी के बिना आजीवन वार्षिकी** - अभिदाता को आजीवन वार्षिकी मिलेगी और अभिदाता की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा और कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
- **क्रय मूल्य की वापसी के साथ संयुक्त जीवन वार्षिकी** - अभिदाता को आजीवन वार्षिकी मिलेगी और अभिदाता की मृत्यु होने पर वार्षिकी जीवन भर के लिए जीवनसाथी को देय होगी। जीवनसाथी की मृत्यु होने पर वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाएगा और क्रय मूल्य का 100% नामिती(यों) को वापस कर दिया जाएगा।
- **क्रय मूल्य की वापसी के बिना संयुक्त जीवन वार्षिकी** - अभिदाता को आजीवन वार्षिकी मिलेगी और अभिदाता की मृत्यु होने पर वार्षिकी जीवन भर के लिए जीवनसाथी को देय होगी। जीवनसाथी की मृत्यु होने पर, वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है और कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी।
- **एनपीएस - क्रय मूल्य की वापसी के साथ पारिवारिक आय विकल्प** - अभिदाता को जीवन भर वार्षिकी मिलेगी और अभिदाता की मृत्यु होने पर, वार्षिकी जीवन भर के लिए अभिदाता के जीवनसाथी (यदि कोई हो) को देय होगी। जीवनसाथी की मृत्यु होने पर, आश्रित माता को और फिर अभिदाता के आश्रित पिता को। अंतिम वार्षिकीधारक की मृत्यु होने पर, वार्षिकी का भुगतान बंद हो जाता है और क्रय मूल्य का 100% अभिदाता के जीवित बच्चों को और बच्चों की अनुपस्थिति में, अभिदाता के कानूनी उत्तराधिकारियों को, जैसा भी लागू हो, वापस कर दिया जाएगा।

40. अभिदाता/दावाकर्ता वार्षिकी सेवा प्रदाताओं द्वारा दी जाने वाली दरों की जांच कहां कर सकते हैं? अभिदाता/दावाकर्ता को कितनी वार्षिकी (पेंशन) मिलेगी?

वार्षिकी की राशि अभिदाता के एनपीएस कोष तथा अन्य कारकों, जैसे चयनित वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी), अभिदाता/दावाकर्ता की आयु आदि पर निर्भर करती है। योजनावार वार्षिकी दरें तथा अन्य विवरण इस वेबसाइट पर <https://www.npscra.nsdl.co.in/Annuity-service-providers.php> पर देखे जा सकते हैं।

41. अभिदाता/परिवार के सदस्य के लिए पेंशन कब और कैसे शुरू होगी?

वार्षिकी (पेंशन) वार्षिकी सेवा प्रदाता (एएसपी) द्वारा जारी की जाएगी।

सीआरए में निकासी अनुरोध के निष्पादन पर, वार्षिकीधारक का विवरण (ग्राहक/दावाकर्ता विवरण) और स्कैन किए गए दस्तावेज़ एएसपी के साथ साझा किए जाएंगे, जैसा कि ग्राहक/दावाकर्ता द्वारा चुना गया है। यदि वार्षिकीधारक का विवरण और स्कैन किए गए दस्तावेज़ सही हैं, तो एएसपी द्वारा वार्षिकी पॉलिसी जारी की जाएगी।

यदि अपलोड किए गए दस्तावेज़ पर्याप्त/गलत नहीं हैं या कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ आवश्यक हैं, तो एएसपी वार्षिकी औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए ग्राहक/दावाकर्ता से संपर्क कर सकते हैं। वैकल्पिक रूप से, यदि आवश्यक हो, तो ग्राहक/दावाकर्ता एएसपी से संपर्क कर सकते हैं। एएसपी का पूरा संपर्क विवरण इस वेबसाइट पर वार्षिकी सेवा प्रदाता अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध है: <https://www.npscra.nsdl.co.in/Annuity-service-providers.php>.

वार्षिकी औपचारिकताओं के पूरा होने पर, ASP CRA सिस्टम में वार्षिकी अनुरोध की ऑनलाइन पुष्टि करेगा और निर्धारित समय-सीमा के भीतर ग्राहक/दावाकर्ता को वार्षिकी जारी करने के लिए फंड (वार्षिक निधि) ASP को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। ASP ग्राहक/परिवार के सदस्यों को वार्षिकी पॉलिसी जारी करेगा।

42. क्या अभिदाता/दावाकर्ता वार्षिकी खरीदने के बाद वार्षिकी सेवा प्रदाता या वार्षिकी प्रकार बदल सकता है?

एक बार वार्षिकी खरीद लेने के बाद, किसी अन्य वार्षिकी सेवा प्रदाता के पास या अन्य वार्षिकी योजना में रद्दीकरण या पुनर्निवेश का विकल्प तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि यह वार्षिकी सेवा प्रदाता द्वारा निर्दिष्ट समय सीमा (वार्षिकी अनुबंध के अनुसार या आईआरडीएआई द्वारा विशेष रूप से प्रदान की गई निःशुल्क रद्दीकरण अवधि) के भीतर न हो।

43. यदि वार्षिकी खरीदने के बाद अभिदाता/दावेदार की मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा?

राशि के भुगतान का तरीका और तरीका (यदि कोई हो) एन्युटी खरीदते समय सब्सक्राइबर/दावाकर्ता द्वारा चुनी गई एन्युटी योजना के प्रकार पर निर्भर करेगा। मृतक एन्युटीधारक के परिवार के सदस्यों को संबंधित एन्युटी सेवा प्रदाता से संपर्क करना होगा। ASP संपर्क विवरण इस वेबसाइट पर <https://www.npscra.nsdl.co.in/Annuity-service-providers.php> पर प्राप्त किया जा सकता है।

❖ एनपीएस के तहत निरंतरता/आस्थगन:

44. निरंतरता/स्थगन निकासी की प्रक्रिया कैसे की जा सकती है?

- सेवानिवृत्ति/अधिवर्षिता की आयु से कम से कम पंद्रह दिन पहले निरंतरता/स्थगन विकल्प का प्रयोग किया जाएगा। अभिदाता सीआरए सिस्टम में ऑनलाइन निरंतरता/स्थगन अनुरोध आरंभ करेगा। फिर, अभिदाता सिस्टम द्वारा तैयार फॉर्म को नोडल कार्यालय में जमा करेगा।
- ऐसे अनुरोध को संबंधित नोडल कार्यालय द्वारा सत्यापित और अधिकृत किया जाना चाहिए। नोडल कार्यालय को “**एजिट विदड्रॉल रिक्वेस्ट**” मेनू और फिर संबंधित “डेफरमेंट” विकल्प तक पहुंचकर मेकर-चेकर यूजर आईडी का उपयोग करके सीआरए सिस्टम में अनुरोध को ‘सत्यापित’ और ‘अधिकृत’ करना आवश्यक है।
- यदि सब्सक्राइबर ऑनलाइन अनुरोध आरंभ करने में सक्षम नहीं है, तो सब्सक्राइबर को नोडल कार्यालय में भौतिक निरंतरता/स्थगन फॉर्म जमा करना होगा। भौतिक दस्तावेज प्राप्त होने पर, नोडल कार्यालय सब्सक्राइबर की ओर से सीआरए सिस्टम में “**एजिट विदड्रॉल रिक्वेस्ट**” मेनू और फिर प्रासंगिक “स्थगन” विकल्प तक पहुंचकर ऑनलाइन अनुरोध आरंभ करेगा।
- आप निरंतरता/स्थगन फॉर्म “**फॉर्म**” अनुभाग के अंतर्गत पा सकते हैं, जो इस वेबसाइट पर संबंधित क्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध है।

45. क्या अभिदाता चरणबद्ध तरीके से एकमुश्त राशि निकाल सकते हैं?

चरणबद्ध निकासी की सुविधा उन एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है जिन्होंने रिटायरमेंट/सुपरएन्युएशन के समय “एकमुश्त राशि स्थगित” करने का विकल्प चुना है। सब्सक्राइबर 60 वर्ष (या नियोक्ता द्वारा निर्धारित किसी अन्य सेवानिवृत्ति आयु) से लेकर 75 वर्ष तक की अवधि में चरणबद्ध तरीके से एकमुश्त राशि निकालने का विकल्प चुन सकता है। हालाँकि, सब्सक्राइबर को चरणबद्ध निकासी से पहले वार्षिकी खरीदनी होगी।

46. क्या अभिदाता निरंतरता अवधि के दौरान आस्थगन विकल्प का विकल्प चुन सकता है?

नहीं, अभिदाता निरंतरता विकल्प प्राप्त करने के बाद आस्थगन (एकमुश्त और/या वार्षिकी) का विकल्प नहीं चुन सकता है।

47. क्या टियर-1 खाते के जारी रहने की स्थिति में अभिदाता अपना टियर-2 खाता जारी रख सकता है?

हां, अभिदाता अपना टियर-2 खाता तब तक जारी रख सकता है जब तक उसका टियर-1 खाता सक्रिय है।
